भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2529

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए

2529. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित लगभग 16 प्रतिशत शैक्षिक ऋण गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उच्च ऋण वितरण के होते हुए भी एनपीए अनुपात अधिक होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त समस्या के मुख्य कारणों, जैसे सीमित रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा शुल्क के समाधान हेतु तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समस्या के समाधान हेतु ऋण पुनर्गठन या एनपीए वसूली हेतु एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक जैसे प्रमुख ऋणदाताओं को कोई विशिष्ट समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने और बैंकों के लिए जोखिम कम करने के लिए भावी शिक्षा ऋण वितरण और वसूली प्रक्रिया में सुधार हेतु क्या नई नीतिगत पहल की जा रही है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बकाया शैक्षिक ऋणों के संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2% हो गई हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों में शैक्षिक ऋणों की आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य-वार सूचना नहीं है।

(ग) और (घ): विनियमित संस्थाओं (आरई) के ऋण संबंधी मामले अत्यधिक सीमा तक अविनियमित हैं और ये उधारकर्ता और आरई के बीच ऋण करार के संबंधित विनियामकीय और सांविधिक अपेक्षाओं और निबंधन और शर्तों के दायरे में तैयार की गई आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे

बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति लागू करें और वे उक्त नीति के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेंगे, जो विनियमों के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन होगा।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वसूली में सुधार और बैंकों में आरंभिक/स्थापित दबाव का समाधान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी करना शामिल है, जो एक सिद्धांत-आधारित ढांचा है और समयबद्ध तरीके से चूक की शीघ्र पहचान और समाधान प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) (दिनांक 21.3.2024 को अंतिम संशोधन)अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है और 7.50 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय-पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि वे केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हों।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर 7.50 लाख रुपये से अधिक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक मुक्त ऋण - शिक्षा ऋण योजना के संबंध में 12 अप्रैल, 2010 के परिपत्र *आरपीसीडी.*एसएमई एंड एनएफएस.*बीसी.सं.* 69/06.12.05/2009-10 के *माध्यम से* यह सलाह दी है कि बैंकों को 4 लाख रुपये तक के शैक्षिक ऋणों के मामले में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए।

इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दिनांक 06.11.2024 को किया गया है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण देने में सक्षम बनाती है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। यह योजना मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है और सक्षम बनाती है, जो देश में शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश प्राप्त करते हैं और इन क्यूएचईआई के मेधावी छात्रों को सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाते हैं।

*****